न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री बी.एल.कोठारी
आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्राधिकृत अधिकारी क्षैत्रीय कार्यालय उदयपुर सिंडिकेट बैक		1.श्रीमती जमनादेवी पत्नी शंकरलाल 2.श्री हीरालाल पुत्र श्री शंकरलाल तमाम जाति देवासी निवासी इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर

विविध प्रकरण संख्या 22/2018

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

....

अधिवक्ता:-श्री रमेश कुमार सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:-04.06.2018

1- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

2- प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि बैक ने ऋणी श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री शंकरलाल एवं श्री हिरालाल पुत्र श्री शंकरलाल निवासी इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर (राज.) को ऋण राशि रूपये 10,00,000/ का ऋण/सुविधा स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारो ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादित किये थे ।उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पतिं प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- अचल सम्पति रहवासी मकान जो कि इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर राजस्थान में स्थित है जो श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री शंकरलाल एवं श्री हिरालाल पुत्र श्री शंकरलाल देवासी के नाम से है।ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया है। बैक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 11.09.2017 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवंतन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजि.ए.डी./कोरियर/यू.पी.सी. से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रूपये 9,14,671,65 (अक्षरो नौ लाख चौदह हजार छ:सौ इक्हतर रूपये और पैसठ पैसे मात्र) दिनांक 01.09.2017 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करने के लिये मांग की। बैक को रूपये 9,14,671,65 (अक्षरो नौ लाख चौदह हजार छ:सौ इक्हतर रूपये और पैसठ पैसे मात्र) दिनांक 01.09.2017 एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी/जमानतदारो से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैक को गिरवीकृत परिसम्पत्ति अचल सम्पत्ति:- रहवासी मकान जो कि इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर में स्थित है जो श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री शंकरलाल एवं श्री हिरालाल पुत्र श्री शंकर लाल के नाम से है कब्जा लेकर बिकी करनी है। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैक को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, इस हेतु अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है:-धारा 14(1)के मुख्य अंश आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:-जहां किसी प्रतिभूत आस्थियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियन्त्रण में लेने के प्रयोजन के लिये लिखित में जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा और जिला मजिस्ट्रेट उनको किये गये उस अनुरोध पर (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो को भेजेगे। (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगे। उप धारा (2) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदमो को लेगे या लेवा सकेगे या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगे जो उनकी राय में आवश्यक हो सकेगा। उप धारा(3) इस धारा की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट का कोई भी कार्य किसी न्यायालय में या किसी अधिकारी के समक्ष प्रश्नांकित नही किया जायेगा। गिरवीकृत सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार में है,का पता निम्न है:- अचल सम्पत्ति :-रहवासी मकान जो इन्द्रापुरी कॉलोनी जालोर में स्थित है जो श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री शंकरलाल एवं श्री हिरालाल पुत्र शंकरलाल के नाम से है। जिसके पडौस निम्न प्रकार है। उत्तर दिशा:- तालाब की पाल, दक्षिण दिशा में :-रोड, पूर्व दिशा में:-जेठाराम व पेपीदेवी का मकान, पश्चिम दिशा में:- रोड है।

अत: उपरोक्त गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा के भौतिक कब्जा बैक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार उक्त सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

3- पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैक से 10,00,000/-रूपये (रू दस लाख) का ऋण/सुविधा स्वीकृत किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये ऑडिनेन्स की धारा 13(2) के तहत् 11.09.2017 को समस्त प्रतिवादी को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनो में 9,14,671,65 (अक्षरो नौ लाख चौदह हजार छ:सौ इक्हतर रूपये और पैसठ पैसे मात्र) जिसमें दिनांक 01.09.2017 तक का ब्याज सम्मिलित हैं। प्रतिवादियो ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के बावजुद बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है।

वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:-(1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये,लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा,ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा। (2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक,जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपतियो, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जालोर को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

सही—

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर